पत्रांक-एडी0कमि/कैम्प-2016-17/ -16- / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(एडी0कमि0 कैम्प)
लखनऊ :: दिनांक :: 20, अप्रैल-2016

1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर,
जोन प्रथम, द्वितीय लखनऊ तथा जोन प्रथम, द्वितीय कानपुर ।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
जोन प्रथम, द्वितीय लखनऊ तथा जोन प्रथम, द्वितीय कानपुर ।

मुख्यालय की केन्द्रीय सचल दल इकाई से प्रदेश के कतिपय रेलवे स्टेशन्स पर चेकिंग कराये जाने के फलस्वरुप यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रेल मार्ग से भारी मात्रा में करापवंचित माल मंगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय बसों के माध्यम से भी करापवंचित माल आने की सूचना प्राप्त हुई है । अत: कृपया उपर्युक्त दोनों प्रकार के करापवंचन को दृढ़ता से रोकने के लिए जोन स्तर पर निम्न व्यवस्थायें/ कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें:-

1- जोन लखनऊ में चारबाग और जोन कानपुर में कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के दोनों ओर (उत्तरी एवं दक्षिणी) पर सचल दल इकाईयों की एक-एक चेकिंग टीम आठ-आठ घण्टे की शिफ्ट ड्यूटी में 24 घण्टे के लिए लगायें ।

2- चेकिंग टीम में पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त वाणिज्य कर अधिकारी एवं एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी अवश्य रखे जाये । इन्हें कर निर्धारण शाखा से लिया जा सकता है ।

3- पंजीकृत व्यापारियों के द्वारा बाहर भेजे जाने वाले प्रत्येक करयोग्य माल के बिल्स संग्रहीत किये जाये और इन्हें कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किया जाये ।

4- पंजीकृत व्यापारियों के द्वारा प्रदेश बाहर से मंगाये गये करयोग्य माल के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत रुप से आयात घोषणा पत्रों (फार्म-38) एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर जांच की जाये और फार्म-38 की एक प्रति प्राप्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित की जाये ।

5- व्यवसायिक उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य से मंगाये गये माल के लिए वैट अधिनियम की धारा-50(1) के अन्तर्गत नियत किये गये मूल्य एवं मात्रा से अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए प्रपत्र-39 के आधार पर जाँच की जाये । रु0 20,000/- से अधिक की ऐसी करयोग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में क्रेताओं का विवरण ज्ञात करके कर निर्धारण अधिकारियों/ वि0अनु0शा0 इकाईयों को सूचित किया जाये ।

6- रेलवे द्वारा आयातित माल के सम्बन्ध में रोड चेकिंग पंजी के समान ही चेकिंग पंजी व्यवस्थित की जाये तथा वैट अधिनियम/ नियमावली के प्राविधानों का उल्लघंन करके मंगाये गये अभिग्रहण योग्य माल के सम्बन्ध में आनलाइन पंजी-5 में भी प्रविष्टि करते हुए नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही कराई जाये ।

7- उपर्युक्त व्यवस्थाओं में निष्ठावान अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये । चेकिंग टीम का यह भी दायित्व होगा कि वे आवश्यकतानुसार उक्त रेलवे स्टेशन के

आसपास माल निकलने के सम्भावित स्थानों पर तथा समीपवर्ती रेलवे स्टेशन यथा आलमबाग या अनवरगंज और समीपवर्ती बस स्टेशन चारबाग या फजलगंज में भी चेकिंग करेंगे ।

कृपया उपर्युक्त सम्बन्ध में सुविचारित कार्य योजना बनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा कार्ययोजना की एक प्रति मुख्यालय के सहायता केन्द्र अनुभाग को उपलब्ध कराये । स्थानीय वि0अनु0शा0 इकाईयों को इस आशय की जांच के लिए भी लगाया जाये कि रेलवे से करापवंचित माल मंगाने के लिए किन-किन दलालों, स्थानीय पुलिस कर्मियों या करापवंचक तत्वों की भूमिका रहती है। ऐसे तत्वों के सम्बन्ध में वैट अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक/ विधिक कार्यवाही करायी जाये । स्थानीय जी.आर.पी. को वैट अधिनियम की धारा-53 के प्राविधानों से अवगत कराते हुए तथा उन्हें विश्वास में लेते हुए उनसे लिखित रुप से सहयोग की अपेक्षा की जाये । उपर्युक्त व्यवस्था अग्रिम एक माह तक प्रभावी रहेगी । कृपया उपर्युक्त चेकिंग के फलस्वरुप प्राप्त उपलब्धियों के सम्बन्ध में पाक्षिक रुप से अवगत करायें ताकि इसे आगे प्रवर्तित रखने पर विचार किया जा सके ।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक:: उक्त ।

प्रतिलिपि समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 एवं समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश (जोन लखनऊ एवं कानपुर को छोड़कर) को इस निर्देश के साथ कि स्वयं अपने-अपने जोन में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के सम्बन्ध में करापवंचन की सूचना के आधार पर यथा आवश्यकता स्वाविवेकानुसार उपर्युक्त व्यवस्थाएं करा सकते हैं ।

2- ज्वाइंट कमिश्नर (पुलिस) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि चारबाग, लखनऊ तथा कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशनों पर यथा आवश्कता उपर्युक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हुए साप्ताहिक रुप से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायें ।

20/04/16.

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।